श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल, राजस्थान का उद्‌बोधन

अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन

दिनांक 01 मार्च, 2020 **समय प्रातः 11.30 बजे**

स्थान – बिड़ला सभागार, जयपुर

भाइयो, बहनो, पत्रकार बन्धुओ और छायाकार मित्रो।

आज अखिल भारतीय ब्राह्ाण सम्मेलन में देशभर से आये हुये समाज बंधुओं का जयपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्राह्मण समाज भारत के सांस्कृतिक इतिहास और विकास का गवाह रहा है। साथ ही भारत की सनातनी परम्परा को अनदिकाल से तप – त्याग और गहन चिंतन से सम्पूर्ण मानवता का किस प्रकार विकास हो, इस पर कार्य किया है।

ब्राह्मणों का मूल मंत्र रहा है '' सर्वे भवन्तु सुखिनः''। ब्राह्मण की पूजा उसके कर्म त्याग और तपस्या के कारण होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ब्राह्मण क्षेत्रवाद, वर्गवाद, सम्प्रदायवाद, जाति, उपजाति एवं भाषावाद से उपर उठकर बात करें। देश को अपनी परम्परा का ज्ञान करायें और राष्ट्र और मानवता की सेवा में आगे आये।

शाश्वत सत्य है कि ब्राह्मण जगेगा तो विश्व जगेगा। मुझे जानकारी दी गई की सर्व ब्राह्मण महासभा पिछले 25 वर्षो से सक्रिय है। महासभा ने पूरे प्रदेश मे

भगवान परशुराम जी, जो कि तेज और तप से परिपूर्ण थे, उनके जीवन से मातृ और पितृ भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। परशुराम जी के नाम से प्रदेश के 32 जिलों में भगवान परशुराम जी के नाम के चौक बनवाये है। महासभा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालक – बालिकाओं के लये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रखा है। यह सराहनीय प्रयास है।

हर वर्ष परशुराम जयंती पर महासभा की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी प्रंशसनीय कार्य है।

सम्मेलन में सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में एक मंच पर लाकर आज के परिवेश एवं परिस्थिति में ब्राह्मण की भूमिका एवं समाज में उनके योगदान पर चिंतन करना चाहिए।

साथ ही इस अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्र के नव – निर्माण में सार्थक भूमिका ब्राह्मण कैसे निभायें, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे पूरा

विश्वास है कि यह सम्मेलन राष्ट्र हित में प्रगति के लिये ठोस प्रस्ताव लायेगा।

गत 26 नवम्बर को पूरे देश में 70 वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है। हमारा मूल ग्रन्थ है।

संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिये हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे द्वारा किये जाने वाले कर्त्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य, यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तम्भ हैं।

मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्त्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य और व्यवहार करें।

आप लोग युवा हैं। राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्त्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे

बढ़ाने में और स्वयं के जीवन को भी प्रोनन्त करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा।

आमजन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सामाजिक समस्सता के लिए कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

धन्यवाद। जयहिन्द।